3

संख्या– 27/10/2010–एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 23/7/2010

23 JUL 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक *19 मार्च, 2010* को आयोजित 77 वीं बैठक में विचार

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक *19 मार्च, 2010* को आयोजित 77 वीं बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । संलग्नक में नामित कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः–

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

संलग्नक 2 कार्मिकों की सूची

Receipt & Issue Section
23 JUL 2010
ISSUED

दाम्पत्य नीति के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 77वीं बैठक दिनांक 19 मार्च,, 2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

माध्यमिक शिक्षा विभाग

कमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुति
1	2	3	4	5	6
1	श्री शैलेन्द्र सिंह, प्रवक्ता.जीव विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, बिन्ता अल्मोड़ा	15.08.1995	श्रीमती मनोज कुमार, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सोथरा, ब्लाक.अरांव, फिरोजाबाद	04.02.2005	श्री शैलेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती मनोज कुमार की नियुक्ति नियत तिथि 09.11.2000 के पश्चात होने के कारण एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दम्पति नीति अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री शैलेन्द्र सिंह को उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाना की संस्तुति की गई।
2	श्री प्रदीप सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निरंजनपुर, हरिद्वार	15.10.1997	श्रीमती ऊषा सिंह, सहायक अध्यापिक, नगर पालिका कन्या इण्टर कालेज, रूड़कीरोड मुजफ्फरनगर	08.12.2004	श्री प्रदीप सिंह की पत्नी श्रीमती ऊषा सिंह की नियुक्ति नियत तिथि 09.11.2000 के पश्चात होने के कारण एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी दम्पति नीति अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये श्री प्रदीप सिंह को उत्तराखण्ड राज्य में ही बनाये रखे जाना की संस्तुति की गई।

(S. NAYAK)
अनु सचिव/Under Secretary
कार्मिक विभाग
Deptt. of Personnel